

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :- 133/23

प्रार्थी :- दिनेश कुमार पुत्र श्री प्रहलादराम जाति जाट निवासी बालोतरा,
तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थी :- राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला
बाडमेर ।

मुकदमा नंबर :- 134/23

प्रार्थी :- दिलीप चौधरी पुत्र श्री हेमाराम जाति जाट निवासी बालोतरा,
तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थी :- राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला
बाडमेर ।

मुकदमा नंबर :- 135/23

प्रार्थीनी :- सुमन पूनिया पत्नि श्री जोगेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी
बाडमेर, तहसील व जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थी :- राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला
बाडमेर ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी.ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :- 1 श्री करणसिंह सोलंकी प्रार्थीगण अधिवक्ता
2 विप्रार्थी सरकारी पैरोकार

आदेश

दिनांक :- 04.08.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी दिनेश

कुमार की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3656/198 रकबा 0.2782 हैक्टेयर,

दिनेश
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्राणी दिलीप चौधरी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3657/198 रकबा 0.2529 हैक्टेयर प्राणीनी सुमन पूनिया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 199 रकबा 0.3162 हैक्टेयर ग्राम मंडापुरा पटवार क्षेत्र पंचपदरा तहसील पंचपदरा में अवस्थित है। उक्त सभी खसरा न वजदौकतम सड़क के मध्य विधाधी के खसरा संख्या 1108/200 रकबा 1.0749 हैक्टेयर भूमि आई हुए है। सभी प्राणी को अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए विधाधी की उक्त खसरे में चल रहे कदीभी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन रिकॉर्ड में कटाग नहीं होने के कारण सभी प्राणी को कृषि कार्य हेतु आवागमन में समस्या हो रही है। भारी अशुविधा का सामना करना पड़ता है। सभी प्राणी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है।

अतः सभी प्राणी ने विधाधी के खेत खसरा संख्या 1108/200 रकबा 1.0749 हैक्टेयर ग्राम मंडापुरा पटवार क्षेत्र पंचपदरा तहसील पंचपदरा की भूमि में से रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये है।

सभी प्राणी के आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विधाधी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विधाधी के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार पंचपदरा से तलब की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्राणीगण के वकील ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिये कि प्राणी दिनेश कुमार की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3656/198 रकबा 0.2782 हैक्टेयर प्राणी दिलीप चौधरी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3657/198 रकबा 0.2529 हैक्टेयर प्राणीनी सुमन पूनिया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 199 रकबा 0.3162 हैक्टेयर

12/05/2021
उप खण्ड अधिकारी
(B.D.O.) बालोतरा



ग्राम मंडापुरा पटवार क्षेत्र पंचपदरा, तहसील पंचपदरा में अवस्थित है। उक्त खातेदारी भूमि एवं सड़क के मध्य विप्राथी के खसरा संख्या 1108/200 रकबा 1.0749 हैक्टेयर की भूमि आई हुए है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए विप्राथी की उक्त खसरा में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कटाण नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है, क्योंकि उक्त प्रस्तावित रास्ता ही इकलौता विकल्प है, तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अपनी बहस को आगे और जारी रखते हुए कथन किया कि विवादित भूमि की तहसीलदार पंचपदरा द्वारा मौका जांच की गई, और अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता दिए जाने की अनुशंसा की गई है। अतः तहसीलदार पंचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्राथी पक्ष को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से सहमत है।



विप्राथी की ओर से राज. पैरोकार (एन.टी) द्वारा अपनी बहस में तर्क दिये गये कि मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात व मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें

(Signature)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पाया कि प्रार्थी दिनेश कुमार की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3656/198 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, प्रार्थी दिलीप चौधरी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3657/198 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, प्रार्थीनी सुमन पूनिया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 199 रकबा 00.3162 हैक्टेयर ग्राम मंडापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा, तहसील पचपदरा, से होकर मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए बीच विप्रार्थी के खसरा संख्या 1108/200 रकबा 1.0749 हैक्टेयर की भूमि से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करने हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार पचपदरा से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय द्वारा तलब की गई। तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका जांच कर रिपोर्ट दिनांक 04.08.2023 को प्राप्त हुई। जिसमें स्पष्ट अंकन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए आवागमन हेतु उपयुक्त खसरा संख्या 1108/200 रकबा 1.0749 हैक्टेयर की भूमि में से प्रस्तावित है, जो अन्तिम विकल्प रास्ता है, जो प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विप्रार्थी द्वारा भी प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई। उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि का रकबा 0.2104 हैक्टेयर भूमि बन रहा है जिसकी वर्तमान में डी.एल.सी.दर राशि 14,04,729 रुपये प्रति बीघा है। नियमानुसार रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदार को उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि प्रार्थी से दिलवाने जाने का प्रावधान है। जिससे प्रस्तावित रास्ते की भूमि की दुगुनी राशि रुपये 23,37,068/- देय होते हैं, जो विप्रार्थी को राशि दी जानी प्रस्तावित है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है। उपरोक्त विवेचन उपरान्त प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा



लिहाजा प्रार्थीगण के आवेदन स्वीकार किये जाकर ग्राम मंडापुरा पंचवार क्षेत्र पचपदरा, तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 1108/200 रकबा 10749 हेक्टेयर भूमि में से प्रस्तावित रकबा 0.2104 हेक्टेयर भूमि की राशि रुपये 23,37,068/- भुगतान करने पर तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 04.08.2023 के संलग्न नक्शे में मार्क ए. बी. सी. डी. ई. अनुसार बरंग लाल भाग को सरते के रूप में निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि राजकोष में जमा कराने पर तहसीलदार पचपदरा को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित रकबानुसार सरते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन सरते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 04.08.2023 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।



(विवेक व्यास)
 उपखण्ड अधिकारी
 (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 04.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक व्यास)
 उपखण्ड अधिकारी
 (S.D.O.) बालोतरा